न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—156/2018/223 (2018/00156)

1. शिवजीराम उर्फ श्योजी पुत्र उगमा, जाति कीर, निवासी ग्राम जूनियां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकरण,
3. बद्री पुत्र रामकरण,
   जाति माली, निवासी ग्राम जूनियां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मंदिर मूति गोपाल जी महाराज स्थित ग्राम जूनियां, तहसील केकड़ी, जरिये मैनेजर व व्यवस्थापक रघुराजसिंह पुत्र आनन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जूनियां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. राजू पुत्र उगमा,
3. जगदीश पुत्र नन्दा,
4. बद्री पुत्र छोगा,
5. गोकुल पुत्र नारायण,
   समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम जूनियां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
6. सत्यनारायण पुत्र देवीलाल,
7. ओम पुत्र छोगा,
8. मूल पुत्र रूपा,
   समस्त जाति आचार्य, निवासी ग्राम जूनियां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 9.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 1565/2017.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जूनियां, तहसील केकड़ी जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर अवस्थित खाता संख्या 700 के खसरा नंबर 2390, 2390/3462, 3464, 3472, 3764,765, 3766, 3916, 3917, 3918, 3919 कुल किता 12 कुल रकबा 5.88 है0 भूमि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की है। अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 बिना हक, अधिकार के नाजायज कब्जा करने व बेदखल करने पर आमादा है जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादी/रेस्पो0 द्वारा राजस्व वाद संख्या 1565/2017 वर्तमान अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 6.6.2017 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । अपीलांटस/प्रतिवादीगण को उक्त वाद के सम्मन प्राप्त होने पर दिनांक 13.9.2017 को अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये अधिवक्ता श्री हेमन्त जैन, श्री ओमप्रकाश अग्रवाल एवं श्री अशोक पालीवाल उपस्थित हुए तथा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत पेश किया । नियत दिनांक 13.9.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के जवाब हेतु वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को दिनांक 9.10.2017, 21.11.2017, 19.12.2017 एवं 15.2.2018 की पेशियां प्रदान की गई परन्तु दिनांक 15.2.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 26.2.2018 की पेशी नियत की गई । इसके उपरांत भी दिनांक 26.2.2018 व 13.4.2018 की पेशियां प्रदान किये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 9.5.2018 की पेशी नियत की गई । उपरोक्त वर्णितानुसार वाद संख्या 1565/2017 जवाब प्रार्थना पत्र॰ अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 हेतु विचाराधीन होने के उपरांत भी पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम जूनिया में नियत की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 को अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित कर दी गई जो कि आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 125 से 127 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट/रेस्पो0 को प्रकरण लोक अदालत कैम्प ग्राम जूनिया में दिनांक 9.5.2018 को नियत किये जाने संबंधित किसी प्रकार का कोई नोटिस व सूचना प्रेषित नहीं की गई । इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 409 से 411 व 461 से 462 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के प्रतिकुल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र उन्हीं प्रकरणों को निर्णित किया जा सकता है जिनमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हो । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों को लोक अदालत में निर्णित नहीं किया जा सकता है तथा पूर्व के राजस्व कैम्पों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा अधिक आंकड़े प्रदर्शित किये जाने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा पारित आदेश कमांक/प–12(3)राज–1/2018, जयपुर दिनांक 11.4.2018 के तहत आयोजित होने वाले राजस्व कैम्प दिनांक 1.5.2018 से 30.6.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तक के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये है । इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 द्वारा हस्तगत वाद को विधिक प्रावधानों एवं प्रकिया के विपरीत निर्णित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का पूर्ण रूप से दायित्व था कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी 0 को सर्वप्रथम निर्णित करते, परन्तु उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि वाद संख्या 1565/2017 में वर्णित वर्तमान खसरा नंबर 3472 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 1407 व साबिक खसरा नंबर 1048 रकबा 14–7–00 बीघा तथा वर्तमान खसरा नंबर 2390 व 2390/6093 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 1122 जिसके साबिक खसरा नंबर 171 रकबा 6–9–00 बीघा भूमि के संबंध में अपीलांट संख्या 2 व 3 द्वारा पूर्व में ही राजस्व वाद संख्या 4098/2015 वादी/रेस्पो0 संख्या 1 मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसे भी गैर कानूनी रूप से अधी0न्याया0 द्वारा कैम्प जूनिया में नियत करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2016 को निरस्त कर दिया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रथम अपील संख्या 377/2016 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे निर्णय व डिक्री दिनांक 31.8.2018 द्वारा स्वीकार किया जाकर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकडी को समुचित जवाब, सुनवाई, साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तनकियात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय गुणावगुण पर पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया है, जो वाद आज दिवस को भी अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम बहस हेतु विचाराधीन है । इस प्रकार समान भूमि के लिये पश्चात्वर्ती रूप से समान पक्षकारों के विरूद्ध समान न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 1565/2017 पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य था । जिसे विधिवत् रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत राजस्व कैम्प में दिनांक 9.5.2018 को एकपक्षीय रूप से निर्णित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 1565/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा टी0ए0संख्या 377/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2018 के परिपेक्ष्य में निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 13.9.2017 को पेश कर दिया गया था जिसका निर्णय अधी0न्याया0 द्वारा किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विचाराधीन समस्त प्रार्थना पत्रों का निर्णय करना आवश्यक है तद्पोरांत ही प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना न्यायोचित होता है । जबकि हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है । यहां पर यह तथ्य भी निर्विवाद है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज चली आ रही है जिस बाबत् भी मंदिर मूति श्री गोपालजी द्वारा धारा 188 राज0काश्त0अधि0 का वाद पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9.5.2018 से स्वीकार किया है किन्तु उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना

जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील इसी आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की दिनांक से 6 माह की अवधि में अंतिम रूप से निर्णित करे तब तक उभयपक्ष विवादित आराजियात बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर